भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1095

दिनांक 28 **जुलाई**, 2021

जीएसटी के दायरे में ईंधन

1095. **श्री कुमार केतकर** :

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

डा. अमी याज्ञिक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ईंधन पर केंद्र और राज्य करों में सुधार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (ख): संविधान के अनुच्छेद 279 ए 5) में निर्धारित किया गया है कि माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे पेटोलियम क्रूड,हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। इस प्रकार संवैधानिक रूप से पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में शामिल हैं और वह तारीख, जिससे ऐसे उत्पादों पर जीएसटी की उगाही की जाएगी, जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार होगी। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार पेट्रोल और डीजल सहित जीएसटी दायरे से बाहर रखे गए सभी उत्पादों को इसमें शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश अपेक्षित होगी।

जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा नामांकित किसी अन्य मंत्री का प्रतिनिधित्व है।

(ग) से (घ): अवसंरचना तथा अन्य विकास संबंधी व्यय के लिए राजकोषीय संसाधनों की आवश्यकता हेतु संसाधन जुटाने के लिए ईंधन पर करों को अंशांकित किया गया है।

****